



**राजनाथ सिंह**  
**RAJNATH SINGH**  
**गृह मंत्री, भारत**  
**HOME MINISTER, INDIA**

प्रिय देशवासियो !

हिंदी दिवस के अवसर पर आप सब को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं !

स्वाधीनता संग्राम के दौरान स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा पर जोर दिया गया था। यह हमारा राष्ट्रीय मत था कि बिना स्वदेशी और स्वभाषा के स्वराज सार्थक सिद्ध नहीं होगा। हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय नेताओं, विद्वानों, मनीषियों एवं महापुरुषों की यह दृढ़ अवधारणा थी कि कोई भी देश अपनी स्वाधीनता को अपनी भाषा के अभाव में मौलिक रूप से परिभाषित नहीं कर सकता। हमें भारत में एक राष्ट्र की भावना सुदृढ़ करनी है तो एक संपर्क भाषा का होना भी नितांत आवश्यक है। इस प्रकार हिंदी को राष्ट्रीय स्वाभिमान का अंग एवं प्रेरणा स्रोत के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त समझते हुए भारतीय संविधान सभा द्वारा 14 सितम्बर, 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया। हिंदी भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम होने के साथ-साथ भारत के संविधान में वर्णित भावनात्मक एकता को सुदृढ़ करने का जरिया भी है। यह भाषा देश की एकता और अखंडता को बढ़ावा देने में भी सहायक रही है।

26 जनवरी, 1950 में लागू भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ सरकार की राजभाषा हिंदी होगी एवं इसकी लिपि देवनागरी होगी। संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ सरकार को यह दायित्व सौंपा गया कि वह भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक तत्वों तथा अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए इसका प्रचार-प्रसार एवं अभिवृद्धि सुनिश्चित करे।

विश्व के सभी प्रमुख विकसित और विकासशील देश अपनी-अपनी भाषाओं में ही अपना सरकारी कामकाज करके समृद्ध और उन्नत हुए हैं। अशिक्षा, बेरोजगारी और गरीबी से उबरने के लिए आम जनता को सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यावरण संरक्षण, कृषि, इंजीनियरी, स्वास्थ्य सेवाओं जैसे अनेक क्षेत्रों में राजभाषा हिंदी के माध्यम से शिक्षित करने की अहम आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में हिंदी में मौलिक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने समय-समय पर पुरस्कार योजनाएं लागू की हैं। लेखक और प्रकाशक आधुनिक ज्ञान को सभी भारतीयों तक पहुँचाने में और भारत को एक महान एवं शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करना अधिक आसान एवं सुविधाजनक हो गया है। इसी क्रम में राजभाषा विभाग द्वारा वेब आधारित सूचना प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है जिससे भारत सरकार के सभी कार्यालयों में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट तथा अन्य रिपोर्टें राजभाषा विभाग को त्वरित गति से भिजवाना आसान हो गया है। सरकारी कामकाज अधिक से अधिक हिंदी में करने के लिए यह भी आवश्यक है कि भाषा को सरल एवं सहज बनाया जाए ताकि यह सभी के लिए बोधगम्य हो तथा इसका प्रयोग बहु-आयामी हो सके।

मैं केंद्र सरकार के अंतर्गत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से आग्रह करता हूँ कि वे अपने कार्यालयों में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सार्थक एवं सतत् प्रयास करें। मैं अपील करता हूँ कि इस संबंध में भेजी जाने वाली हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्टों में वास्तविक और तथ्यपरक आंकड़े एवं सूचनाएं ही दी जाएं। संघ की राजभाषा नीति का आधार सद्भावना, प्रेरणा एवं प्रोत्साहन है किंतु संबंधित अनुदेशों का अनुपालन उसी प्रकार दृढ़तापूर्वक किया जाना चाहिए जिस प्रकार अन्य सरकारी अनुदेशों का अनुपालन किया जाता है।

आइए, हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर हम यह दृढ़ संकल्प लें कि हम सभी अपना अधिकाधिक कार्य पूरे उत्साह, लगन और गर्व के साथ राजभाषा हिंदी में करेंगे। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि हमारे सामूहिक, सार्थक एवं सतत् प्रयासों से हम अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेंगे और देश में हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं प्रयोग को नए आयाम देंगे।

जय हिंद !

नई दिल्ली,  
14 सितम्बर, 2014

राजनाथ सिंह

उमा भारती  
UMA BHARTI



जल संसाधन गंगा संरक्षण  
एवं नदी विकास मंत्री  
भारत सरकार  
नई दिल्ली-110001  
MINISTER OF WATER RESOURCES  
RIVER DEVELOPMENT AND  
GANGA REJUVENATION  
GOVERNMENT OF INDIA  
NEW DELHI - 110001

दिनांक : 01 सितम्बर, 2014

### संदेश

हिन्दी दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ देती हूँ ।

हमें भारतीय संविधान द्वारा हिन्दी को बढ़ावा देने और उसके प्रचार-प्रसार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है । हमारा देश भाषा के मामले में अत्यंत समृद्ध है । भाषा न केवल संस्कृति का अविभाज्य अंग है, अपितु कुंजी भी है । देश में सांस्कृतिक समन्वय के जो प्रयास हो रहे हैं, उसमें हिन्दी भाषा का विशेष योगदान है । हिन्दी अपनी आंतरिक ऊर्जा से, अपनी सरलता, सहजता, बोधगम्यता और समन्वय की भावना से निरन्तर आगे बढ़ती, प्रगति करती रहती है ।

इस बदलते युग में, सरकारी कार्यालयों के काम करने की प्रक्रिया व ढंग बदल रहा है । आने वाले समय में अधिकांश कार्य कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा ही होंगे । अतः कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न कम्प्यूटर सिस्टमों और सॉफ्टवेयरों में हिन्दी में कार्य करने की पूर्ण सुविधा हो ।

राजभाषा के रूप में हिन्दी स्वीकारने का मुख्य उद्देश्य है कि जनता का काम जनता की भाषा में सम्पन्न हो, उसमें कठिन भाषा शैली के लिए कोई स्थान नहीं होता । सरकारी कामकाज में हिन्दी की प्रगति एवं प्रचार-प्रसार के लिए आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए । कार्यालयीन भाषा में कठिन शब्दों का प्रयोग करके उसे बोझिल न बनाएँ ।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में उत्साह के साथ "हिन्दी पखवाड़ा" समारोह आयोजित किया जा रहा है । इस अवसर पर हम संकल्प लें कि हम अपने कामकाज में राजभाषा का अधिकाधिक प्रयोग करके संविधान के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण भावना का परिचय देंगे ।

हार्दिक शुभकामनाएँ ।

भवदीया

(उमा भारती)

संतोष कुमार गंगवार  
SANTOSH KUMAR GANGWAR



वस्त्र राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)  
संसदीय कार्य, जल संसाधन  
नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री  
भारत सरकार  
नई दिल्ली-110001

Minister of State for Textiles  
(Independent Charge),  
Minister of State for Parliamentary Affairs, Water Resources,  
River Development and Ganga Rejuvenation  
Government of India  
New Delhi - 110 001

दिनांक: 14 अगस्त, 2014

## संदेश

प्रिय साथियो,

भारत के संविधान के अनुसार, संघ की राजभाषा हिन्दी है। अतः हमारा यह दायित्व है कि अधिकाधिक कार्य हिन्दी में करें। राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए हमें राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। वास्तविकता में हिन्दी में काम करने के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा कि भाषा को सहज एवं सरल रूप से लिखा जाए ताकि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा यह आसानी से समझी जा सके तथा अपनायी जा सके।

सरकारी कामकाज में पिछले कई वर्षों से हिन्दी का उत्तरोत्तर विकास हुआ है और कार्यालयों में हिन्दी को सुगम बनाने के लिए अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से हो रही प्रगति का पूरा लाभ हिन्दी प्रयोगकर्ता तक पहुंचाने के लिए यह आवश्यक है कि कम्प्यूटर पर हिन्दी प्रयोग के लिए मानक भाषा एनकोडिंग यानी यूनिकोड का प्रयोग किया जाए। इस समय हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में कम्प्यूटरों में काम करने के लिए यूनिकोड एनकोडिंग समर्थित फोन्ट्स

उपलब्ध हैं और टाइपिंग के लिए आधुनिक 'इन्स्क्रिप्ट्स' की-बोर्ड है, जिससे थोड़े अभ्यास से टाइपिंग की गति बनाई जा सकती है। अतः यह जरूरी है कि हम कम्प्यूटरों पर उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं के उपयोग से हिन्दी को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करें।

मुझे विश्वास है कि विभिन्न भाषाओं में सौहार्दपूर्ण सह-अस्तित्व के मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के सक्रिय सहयोग से राजभाषा हिन्दी को, उसे वर्तमान में प्राप्त स्थान से कहीं अधिक स्थान देना संभव होगा।

मुझे उम्मीद है कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगासंरक्षण मंत्रालय के अधिक से अधिक अधिकारी और कर्मचारी 'हिन्दी पखवाड़े' समारोह के अन्तर्गत विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे।

'हिन्दी पखवाड़े' के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को बधाई देता हूँ और 'हिन्दी पखवाड़े' की सफलता की कामना करता हूँ।



(संतोष कुमार गंगवार)

राज्य मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण)

---

211, श्रम शक्ति भवनए रफी मार्ग, नई दिल्ली -110 001

दूरभाष : (011) 23718759, फ़ैक्स : 011-23354496

211, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110 001

Tel. : (011) 23718759, Fax : 011-23354496

CONSERVE WATER -SAVE LIFE

आलोक रावत  
Alok Rawat  
सचिव

SECRETARY  
Tel : 23710305  
Fax : 23731553  
E-mail : secy-mowr@nic.in



भारत सरकार  
जल संसाधन, नदी विकास और  
गंगा संरक्षण मंत्रालय  
श्रम शक्ति भवन  
रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF WATER RESOURCES  
RIVER DEVELOPMENT AND  
GANGA REJUVENATION  
SHRAM SHAKTI BHAWAN  
RAFI MARG, NEW DELHI-110 001  
<http://www.wrmin.nic.in>

दिनांक: 19 अगस्त, 2014

### अपील

हिन्दी देश की भावनात्मक एकता की कड़ी है। हिन्दी एक ऐसी भाषा है जो जन जन को एक सूत्र में बांध सकती है। किसी भी समाज, राष्ट्र और सभ्यता की पहचान उसकी अपनी भाषा से होती है। भाषा विचारों के आदान-प्रदान का माध्यम होता है। हिन्दी का प्रयोग बढ़ाना एक राष्ट्रीय कार्य है।

विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हम विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं के साथ 'हिन्दी पखवाड़ा' समारोह आयोजित कर रहे हैं। मुझे आशा है कि मंत्रालय के अधिक से अधिक अधिकारी और कर्मचारी इसमें भाग लेंगे और यह आयोजन हिन्दी में काम करने के लिए आप सभी को उत्साह और प्रेरणा प्रदान करेगा। हिन्दी में काम करने की भावना केवल हिन्दी पखवाड़े तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, अपितु पूरे वर्ष हिन्दी में कार्य किया जाना चाहिए ताकि हम अपने संवैधानिक दायित्वों को निभा सकें।

इस अवसर पर, मैं आप सभी को बधाई देता हूँ और 'हिन्दी पखवाड़े' की सफलता की कामना करता हूँ।

(आलोक रावत)